

राज्य साख योजना 2009–10

STATE CREDIT PLAN 2009- 10

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम:— संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

1	<p>योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए।)</p> <p>Name of the scheme with Sub-Components, if any.</p>	<p>1) बैंक ऋण पर फलोद्यान अ. केला ब. पपीता स. आम</p> <p>2) अनुबंधित उद्यानिकी फसल क्षेत्र विस्तार योजना 1) Fruit Plantation on Bank Loan a. Banana b. Papaya c. Mango 2) MOU of Aromatic Crops</p>
2	<p>क्या यह योजना भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।</p> <p>Whether it is a Government of India/State Government sponsored Scheme ?</p>	<p>1) राज्य योजना 2) राज्य एवं केन्द्र शासन योजना 1) State Scheme 2) State & Central Govt. Scheme</p>
3	<p>राज्य शासन के स्तर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग.</p> <p>Nodal department/directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.</p>	<p>उद्यानिकी (कृषि विभाग)</p> <p>Horticulture Department (Agriculture Department)</p>
4	<p>जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग.</p> <p>Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.</p>	<p>उप/सहायक संचालक उद्यान</p> <p>Dy.Director/Asstt.Director Horticulture</p>

5	<p>योजना का उद्देश्य</p> <p>Objective of the Scheme</p>	<ul style="list-style-type: none"> - व्यवसायीक केलों की खेती को बढ़ावा देना - व्यवसायीक पपीता की खेती को बढ़ावा देना - व्यवसायीक आम की खेती को बढ़ावा देना - कृषकों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने हेतु फल एवं औषधीय फसलों की खेती की योजना - To promote the Commercial Cultivation of Banana. - To promote the Commercial Cultivation of Papaya. - To promote the Commercial Cultivation of Mango. - Cultivation of fruit and medicinal crops for Additional Income of farmers.
6	<p>क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए।</p> <p>Whether the scheme is being implemented in all the districts of the State ? If not indicate the regions/ districts/blocks where the Scheme is under implementation.</p>	<p>अ. रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा कुल 13 जिलों में क्रियान्वित की जाती है।</p> <p>ब. रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा, कुल 8 जिलों में क्रियान्वित की जाती है।</p> <p>स. रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, जशपुर नगर, कोरिया सभी जिलों में क्रियान्वित की जाती है।</p> <p>2. सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।</p> <p>a. Raipur, Dhamtari, Mahasamund, Durg, Rajnandgaon, Bilaspur, Janjgir, Korba, Sarguja, Raigarh, Bastar, Kanker, Dantewada (13 Districts).</p> <p>b. Raipur, Dhamtari, Mahasamund, Durg, Rajnandgaon, Bilaspur, Janjgir (8 districts).</p> <p>c. Raipur, Dhamtari, Mahasamund, Durg, Rajnandgaon, Bilaspur, Janjgir, Korba, Sarguja, Raigarh, Bastar, Kanker, Dantewada, Kabirdham, Jashpur Nagar, Koriya (all districts).</p> <p>2. Being implemented in all Districts.</p>

7	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्यकृषक/ अनुसूचितजाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ पुरुष/ महिला आदि)</p> <p>Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/Other/Men /Women etc.)</p>	<p>1) सभी वर्ग के सिंचाई सुविधा युक्त कृषक। 2) सिंचाई साधन युक्त भू-स्वामी कृषक।</p> <p>1) All types of farmers alongwith irrigation facilities. 2) Land holding farmers for identified crops.</p>
8	<p>हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो</p> <p>Eligibility criteria for the beneficiary, if any.</p>	<p>1) नाबार्ड द्वारा नियत मापदंड 2) चयनित फसल उगाने हेतु उपयुक्त भूमि के भू-स्वामी कृषक</p> <p>1) As per criteria prescribed by the NABARD. 2) Landowner farmer of the land to produce identified crops.</p>
9	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/ समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/ group basis both individual and group basis.</p>	<p>1) व्यक्तिगत स्तर पर 2) व्यक्तिगत/समूह स्तर पर</p> <p>1) Individual 2) Individual/Group</p>

<p>10</p>	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये।)</p> <p>Details of subsidy provided. if the subsidy is provided on the basis of category of beneficiary, please give category wise details rate (%)</p> <p>Minimum Maximum GOI Contribution State Government contribution</p>	<p>अ. अनुदान प्रति हे. 5500/- एक हितग्राही हेतु अधिकतम 2 हे. रूपये 11000/- या 25 प्रतिशत अनुदान</p> <p>ब. 5250/- प्रति हे. एक हितग्राही हेतु अधिकतम 2 हे. के लिए रूपये 11500/- या 25 प्रतिशत अनुदान।</p> <p>स. प्रति हेक्टर हेतु अनुदान 10937.50/- जिसमें प्रथम वर्ष 3967.50/- द्वितीय वर्ष 1395/- एवं तृतीय वर्ष 1635/ रूपये चतुर्थ वर्ष 1897.50/- एवं पंचम वर्ष में एवं 2042.50 एक हितग्राही हेतु अधिकतम 2 हे. या 25 प्रतिशत अनुदान।</p> <p>2. प्रत्येक कृषक को आम क्षेत्र विस्तार योजना, औषधीय एवं सुगंधित फसल विस्तार योजना तथा टपक सिंचाई योजना की लागत का अधिकतम 25 प्रतिशत अनुदान दिया जावेगा</p> <p>a. Per beneficiary the subsidy will be provided for 1 hec. Rs 5500/- & maximum upto 2 hec. is Rs 11000/- or 25%.</p> <p>b. Per beneficiary the subsidy will be provided for 1 hec. Rs 5250/- & maximum upto 2 hec. is Rs 11500/- or 25%.</p> <p>c. Per hectare subsidy is Rs 10937.50/- in which first year subsidy is 3967.50 /- for second year Rs.1395/- for 3rd year Rs. 1635/- 4th year Rs. 1897.50 and 5th year Rs. 2042.50 will be paid and maximum subsidy for 2 hectare or 25% .</p> <p>2. Maximum 25% subsidy will be provided to each farmer for mango plantation, Aromatic & Medicinal Crops & Drip Irrigation.</p>
<p>11</p>	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान है। यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided if so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.</p>	<p>नहीं</p> <p>No</p>

12	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ योजनांतर्गत अपेक्षित हैं।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the scheme.</p>	<p>केले की बगीचे लगाना पपीता के बगीचे लगाना आम के बगीचे लगाना आम फलोद्यान एवं अंतरासस, पचौली, खस, लेमनग्रास, जामारोजा, फसल लगवाना तथा उनका विक्रय भी एम.ओ.यू. के तहत सुनिश्चित करना</p> <p>Plantation of Banana. Plantation of Papaya. Plantation of Mango. Plantation of Mango and inter culture cropping. Pacholi, Khas, LemonGross, Jamaroja and sale through MOU</p>
13	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/ समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है। यदि हाँ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group. If so please give details.</p>	<p>अ. 22000/- रुपये प्रति हे. एक हितग्राही के लिए 2 हे. अधिकतम 44000/- ब. 21000/- रुपये प्रति हे. एक हितग्राही के लिए अधिकतम 42000/- स. 34400 प्रति हे. एक हितग्राही के लिए 2 हे. अधिकतम 68800/-</p> <p>A. Per beneficiary Rs.22000/- per hec. & maximum upto 2 hec.is Rs 44000/-. B. Per beneficiary Rs.21000/- per hec. & maximum upto 2 hec.is Rs 42000/-. C. Per beneficiary Rs.34400/- per hec. & maximum upto 2 hec.is Rs 68800/-.</p>
14	<p>क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।</p> <p>Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.</p>	<p>हां</p> <p>Yes</p>
15	<p>क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये हैं।</p> <p>Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	<p>1. हां 2. प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।</p> <p>Yes Project Profiles are under preparation.</p>

16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो। Additional details, if any	1. प्रति हे. कॉस्ट लागत नाबार्ड द्वारा परिवर्तित होने पर एवं ऋण मांग परिवर्तनीय होगा। 2. कोई विशेष नहीं। 1. The Loan amount will change if NABARD changes the unit cost of the crop. 2. No any prescribed details.
----	---	---